केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

दिनांक: 08.07.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/275
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00272
CICOM/R/2016/00552

अपीलकर्ता : श्री संदेश कुमार, नं. 14664592 के,
251, सेना वैमानिकी स्क्वाड्रन,
एच.ए.एल. – डिवीजन हैलीकाप्टर,
पिन – 560017.

निर्णय की तारीख : 08.07.2016

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 14.04.2016 |
| आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि | 31.05.2016 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री वीरेन्द्र कुमार चन्डोक |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 22.06.2016 |
| आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि | 149834/28.06.2016 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 378/29.06.2016 |

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दाखिल की गई प्रथम अपील से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री वीरेन्द्र कुमार चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि दाखिल की गई प्रथम अपील से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए श्री वीरेन्द्र कुमार चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत पत्र सं. CICOM/R/2016/00552 द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के निजी सहायक से सहायता ली गई, जिसके प्रतिउत्तर में प्रथम अपीलीय अधिकारी के निजी सहायक द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. सेल को संबोधित पत्र सं. CIC/MISC/AS/2015 दिनांक 29.04.2016 द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि "Please refer to your letter No. CICOM/R/2016/00552 dated 28.04.2016", वांछित सूचना उपलब्ध करवाई गई, तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के निजी सहायक के पत्र को संलग्न करते हुए अपीलकर्ता को सूचना प्रदान की गई । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के निजी सहायक द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को संबोधित पत्र को ठीक से समझ नहीं पाए । अपीलकर्ता को स्पष्ट किया जाता है कि "Please refer to your letter No. CICOM/R/2016/00552 dated 28.04.2016" का उल्लेख करते प्रथम अपीलीय अधिकारी के निजी सहायक द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान की गई है, यह पत्र अपीलकर्ता को सीधे नहीं लिखा गया है, इसलिए अपीलकर्ता को यह पत्र अलग से प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं है

3. यह समझते हुए कि अपीलकर्ता को स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, अपील निस्तारित की जाती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः संलग्न 10 रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 21 एफ 661034 आपको वापस लौटाया जाता है ।

संलग्नक :- यथोपरि ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :
जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 JUL 2016
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
29 JUL 2016
D No.